न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 217/2011

अनवान : –

1. गौरादेवी धर्मपत्नी बजरंग जाति ब्राहमा निवासी नोहर हाल निवासी वार्ड स0 20 बेगावास तारानगर जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 15/09/2015

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 2 बीकेके तहसील नोहर के खाता स0 22/21 के प0न0 306/432 के मु0न0 69 के किला न0 20 की 0.253, 21/0.253, 22/0.253 कुल किता 3 की 0.7590 हैक्ट भूमि व प0न0 पं0नं0 305/432 के मुरब्बा नम्बर 70 के किला नम्बर 16/0.253, 25/0.253, कुल 0.5060 हैक्टेयर व पं०नं0 305/433 के मुरब्बा नम्बर 83 के किला नम्बर 5/0.253, 6/0.253, कुल 0. 5060 हैक्टेयर व पं०नं० 306/433 के मुरब्बा नम्बर 84 के किला नम्बर 1/0.253, 2/0.253, 9/0.253, 1020.253 कुल किता 4 की 1.0120 हैक्टेयर कुल 2.7830 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें वादीया का 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है तथा वादीया का देवर पूर्ण पुत्र काशीराम का भी 1/4 हिस्सा के खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

काशीराम पुत्र मामराज जाति ब्राहम्ण के दो पुत्र बजरंग व पूर्ण केवल पुरूष संतान ही उत्पन्न हुवे इन दोनो के अलावा कोई संतान नही थी। काशीराम पुत्र मामराज व उनकी धर्मपत्नी सुगनी देवी फौत हो चुके है तथा बजरंग व पूर्ण भी फौत हो चूके है केवल वादीया बजरंग पुत्र काशीराम की धर्मपत्नी है तथा पूर्ण वादीया का देवर है जो लावल्द ही फौत हो गया। रौही मोजा चक 2 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 22/21 की कुल 2.7830 हैक्टेयर भूमि में वादीया के सगे देवर पूर्ण का 1/4 हिस्सा का खातेदार है अर्थात 0.69575 हैक्टेयर भूमि का वह खातेदार काश्तकारे है तथा वाद भूमि में वादीया स्वयं का भी 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है तथा पूर्ण वल्द काशीराम छोटी अवस्था में ही लावल्द फौत हो चूका है पूर्ण वल्द काशीराम की वादीया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है क्योंकि वादीया का पूर्ण सगा देवर था तथा वादीया के अलावा अन्य कोई वारीस नही है तथा पूर्ण वल्द काशीराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि की वादीया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त आशयों की वादीया घोषणा पाने की अधिकारी है। वादीया वाद भूमि में पूर्ण पुत्र काशीराम की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से उसकी 1/4 हिस्सा भूमि उसके नाम से कलमजन करवा राजस्व रिकार्ड से खारिज कर तथा पूर्ण की भूमि अपने नाम दर्ज करवा कर अन्य काश्तकारो के साथ वाद भूमि के खाता संख्या 22/21 रोही मोजा चक 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:22 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बीकेके में 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारीणी है। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया की हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के दृष्टिगत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर वाद निर्णित किया जाना उचित है।

वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 2 बीकेके सम्वत 2064—67 खाता स0 22/21 पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया व पूर्ण पुत्र काशीराम के नाम दर्ज है। काशीराम पुत्र मामराज जाति ब्राहम्ण के दो पुत्र बजरंग व पूर्ण केवल पुरूष संतान ही उत्पन्न हुवे इन दोनो के अलावा कोई संतान नही थी। काशीराम पुत्र मामराज व उनकी धर्मपत्नी सुगनी देवी फौत हो चुके है तथा बजरंग व पूर्ण भी फौत हो चूके है केवल वादीया बजरंग पुत्र काशीराम की धर्मपत्नी है तथा पूर्ण वादीया का देवर है जो लावल्द ही फौत हो गया। रौही मोजा चक 2 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 22/21 की कुल 2.7830 हैक्टेयर भूमि में वादीया के सगे देवर पूर्ण का 1/4 हिस्सा का खातेदार है अर्थात 0.69575 हैक्टेयर भूमि का वह खातेदार काश्तकारे है तथा वाद भूमि में वादीया स्वयं का भी 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है तथा पूर्ण वल्द काशीराम छोटी अवस्था में ही लावल्द फौत हो चूका है पूर्ण वल्द काशीराम की वादीया प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी है क्योंकि वादीया का पूर्ण सगा देवर था तथा वादीया के अलावा अन्य कोई वारीस नही है तथा पूर्ण वल्द काशीराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि की वादीया प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी होने से खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त आशयों की वादीया घोषणा पाने की अधिकारीणी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के दृष्टिगत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर वाद निर्णित किया जाना उचित है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया व पूर्ण प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज है। वादीया का कथन है कि पूर्ण जो की वादीया का देवर है लावल्द फौत हो चुका है एवं पूर्ण के वादीया के अलावा अन्य कोई वारिस नही है वादीया द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न तो पूर्ण का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया है व न ही सदस्य/वारिस प्रमाण पत्र/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र पेश किया गया है जिससे यह साबित हो की पूर्ण लावल्द फौत हुआ है अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:22 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 217/2011
अनवान : –

1. गौरादेवी धर्मपत्नी बजरंग जाति ब्राहमा निवासी नोहर हाल निवासी वार्ड स0 20 बेगावास तारानगर जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 217 सन 2011 निर्णय दिनांक 15/09/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:32:22 IST
Reason: SelfAttested